

प्रेषक,

शैलेश बगौली,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग,

उत्तराखण्ड शासन।

आवास अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 22 जनवरी, 2021

विषय: Ease of Doing Business के अन्तर्गत निर्धारित SBRAP Point-13 एवं 183 पर कार्यवाही किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-2022/उडा-109(A)/EODB/2016, दिनांक 21.1.2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि Ease of Doing Business के अन्तर्गत निर्धारित SBRAP Point-13 एवं 183 पर कार्यवाही किए जाने हेतु भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया/अन्य कार्यों के लिये निम्नानुसार समय-सीमा (Timeline) निर्धारित की जाती है -

क्र सं०	सेवाएं/प्रक्रिया	निर्धारित समय-सीमा
1	एकल आवासीय इकाई एवं आवासीय मानचित्र का निस्तारण	15 दिन
2	गैर आवासीय (व्यवसायिक, मल्टीपल आवासीय इकाई एवं ग्रुप हाउसिंग आदि) मानचित्र का निस्तारण	30 दिन
3	प्लिंथ स्तर का परीक्षण	10 दिन
4	कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत करना	90 दिन
5	अधिभोग प्रमाण पत्र निर्गत करना	30 दिन
6	भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण का निस्तारण	210 दिन

2- अतः उपरोक्तानुसार भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिये उपरोक्त तालिका में वर्णित समय-सीमा निर्धारण हेतु यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)

सचिव।